**महत्वपूर्ण/मा0 मंत्री जी के आदेश**

संख्याः 279/अड़तीस–5–2017–6सम/2017

प्रेषक,

**श्रीश चन्द्र वर्मा,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक,राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनॉक 05 अप्रैल, 2017

**विषयः– मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

दिनांक 25 मार्च, 2017, 30 मार्च, 2017 एवं दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल सेक्टर की सम्पन्न समीक्षा बैठक में मा0 मंत्री जी द्वारा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी की भीषणता के कारण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्भावित पेयजल की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं त्वरित गति से कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं:–

1. ग्रीष्म ऋतु में गर्मी की भीषणता के कारण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–235/अड़तीस–5–17–21एम/99, दिनांक 28 मार्च, 2017 (प्रति संलग्न) तथा दिनांक 25 मार्च, 2017 एवं दिनांक 30 मार्च, 2017 को मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन विषयक शासनादेश संख्या–220/अड़तीस–5–17–6सम/17, दिनांक 28 मार्च, 2017 एवं 253/अड़तीस–5–17–6सम/17, दिनांक 28 मार्च, 2017 (प्रतियॉ संलग्न) की अपेक्षानुसार समस्त बिन्दुओं पर समयबद्ध एवं त्वरित गति से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
2. प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रभावित स्थानों पर मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की मरम्मत पंचायती राज विभाग/ ग्राम पंचायतों के माध्यम से सुनिश्चित करायी जाय। विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा/ विधान परिषद की संस्तुति पर लगाये जाने हेतु निर्देशित 100 नये एवं 100 रिबोर हैण्डपम्पों में से चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अवशेष बचे नये व रिबोर हैण्डपम्पों को प्रथमतः अधिष्ठापित/रिबोर करा लिया जाय, इस सम्बन्ध में स्थानीय विधायकों की यथावश्यक संस्तुति भी प्राप्त कर ली जाय।
3. प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या से तत्काल राहत पहुॅचाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन द्वारा टैंकरों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय एवं पेयजल की समस्या के दृष्टिगत त्वरित कार्यवाही हेतु टैंकर्स को मुख्यालय से ब्लाकों में तत्काल भेज दिया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि टैंकरों में पेयजल कहॉ से भरा जायेगा ? इसकी प्रभावी व्यवस्था कर ली जाय। इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाय, ताकि जनता को यह ज्ञात हो सके कि पेयजल की समस्या होने पर उन्हें टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जायेगी।
4. प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर बुन्देलखण्ड एवं बुन्देलखण्ड जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले अन्य जनपदों / क्षेत्रों में निर्मित / संचालित पाइप पेयजल योजनाओं को आवश्यकतानुसार मरम्मत कराकर पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी अवश्य देख लिया जाय कि जिन पाइप लाइनों का मरम्मत प्रस्तावित है, उनसे सम्बन्धित पेयजल योजनाओं की टंकियां चालू हैं अथवा नहीं?